वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(68)/2009-PD

दिनांक/Dated: 01.07.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	**कार्यालय ज्ञापन सं/ .** Office Memorandum No.	**विषय/** Subject
1.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/3/2019-पी और पीडब्लू (एफ) दिनांक 01.01.2021 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare Office Memorandum No. 1/3/2019- पी & पीडब्ल्यू (एफ) dated 01.01.2021	केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के नियम 9(3) के अनुसरण में सरकारी सेवा करने पर होने वाली नि:शक्तता के बावजूद सरकारी सेवा में प्रतिधारिता करने पर एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान। Payment of lump sum compensation to employees covered under NPS on retention in Government service in spite of disablement attributable to government service in accordance with Rule 9(3) of CCS (Extra Ordinary Pension) Rules, 1939-regarding.

भवदीय/Yours faithfully

(राजीव शर्मा / Rajeev Sharma)
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above
प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

सं. 1/3/2019-पी&पीडबल्यू(एफ़)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
******

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 1 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के नियम 9(3) के अनुसरण में सरकारी सेवा करने पर होने वाली निःशक्तता के बावजूद सरकारी सेवा में प्रतिधारित करने पर एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने पर, अन्यों के साथ, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना सं 38/16/2003-पी&पीडबल्यू(ए) के द्वारा यह संशोधन किया गया था कि उपरोक्त नियमों के प्रावधान दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। तथापि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, सरकारी सेवा करने पर होने वाली निःशक्तता/विकलांगता के कारण ऐसे कर्मचारियों को सेवा से कार्यमुक्त करने या उनकी मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के तहत निःशक्तता पेंशन, विकलांगता पेंशन और कुटुंब पेंशन के हितलाभों को अनंतिम रूप से देने के लिए इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा.सं.38/41/06-पी&पीडबल्यू के द्वारा आदेश जारी किए थे।

2. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त और एनपीएस के तहत कवर किए गए कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के तहत हितलाभ देने के लिए अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं। दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सिविल सेवा(ईओपी) नियमावली, के नियमावली 9(3) के अनुसरण में, यदि एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के कारण होने वाली विकलांगता के बावजूद सेवा में प्रतिधारित रखा जाता है, तो समय-समय पर लागू होने वाले सरांशीकरण टेबल के संदर्भ में, विकलांगता पेंशन के विकलांगता घटक के पूंजीकृत मूल्य पर पहुंचने पर उसको एकमुश्त मुआवजे का भुगतान किया जाता है। हालांकि, उक्त नियमावली के नियम 8(3) के तहत ब्रॉड-बैंडिंग ऐसे मामलों में लागू नहीं है। अतः, दिनांक 05.05.2009 के पूर्वोक्त का.ज्ञा. के अनुसरण में, सरकारी सेवा के कारण विकलांगता होने पर सेवा से बाहर कर देने पर ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों के लिए विकलांगता पेंशन का लाभ उपलब्ध है, वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के तहत हितलाभ ऐसे किसी एनपीएस कर्मचारी के लिए उपलब्ध नहीं है जिसे सरकारी सेवा के कारण होने वाली विकलांगता के बावजूद सेवा में रखा जाता है।

3. व्यय विभाग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त और एनपीएस के तहत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी यदि विकलांग हो जाता है, तो वह केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, के नियम 9(3) के संदर्भ में संगणित एकमुश्त मुआवजा पाने का भी पात्र होगा, यदि विकलांगता सरकारी सेवा के कारण हुई है और सरकारी कर्मचारी को ऐसी विकलांगता होने के बावजूद भी सेवा में रखा जाता है। इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा.सं.38/41/06-पी&पीडबल्यू के प्रावधान उस सीमा तक संशोधित होंगे।

4. इस का.ज्ञा. के प्रावधान दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे।

5. इन आदेशों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 23.12.2020 के उनकी आईडी सं. 1(6)/EV/2020 के द्वारा जारी किया जाता है।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद उनके दिनांक-27.11.2020 के यू.ओ.संख्या-232-स्टाफ हक (नियम)/ए.आर./09-2019 के द्वारा जारी किए जाते हैं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों और संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों की विषयवस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं। दिनांक 01.01.2004 के बाद सरकारी सेवा के कारण विकलांगता होने के बावजूद सेवा में रखे गए एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे के भुगतान के मामले तदनुसार संसाधित किए जा सकते हैं।

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

1/3/2019-पी और पीडब्लू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
******

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 1st जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Payment of lump sum compensation to employees covered under NPS on retention in Government service in spite of disablement attributable to Government service in accordance with Rule 9(3) of CCS (Extra Ordinary Pension) Rules, 1939-regarding.

The undersigned is directed to say that on introduction of National Pension System with effect from 01.01.2004, among others, the CCS (Pension) Rules, 1972 and CCS (EOP) Rules, 1939 were amended vide Notification No. 38/16/2003-P&PW (A) dated 30.12.2003 to the effect that the provisions of the aforesaid Rules would not be applicable to the Government employees appointed on or after 01.01.2004. However, considering the hardships being faced by the employees covered under National Pension System and their families, orders were issued vide this Department's OM No 38/41/06-P&PW dated 05.05.2009 for provisionally extending the benefits of invalid pension, disability pension and family pension under CCS (Pension) Rules and CCS (EOP) Rules on discharge of such employees from service on invalidation/disability or on their death during service.

2. Representations/references have been received in this Department for extending the benefit under Rule 9(3) of CCS (EOP) Rules, to the employees appointed on or after 01.01.2004 and covered under NPS. In accordance with Rule 9(3) of CCS (EOP) Rules, applicable to Government employees appointed before 01.01.2004, if a Government employee is retained in service in spite of a disablement attributable to Government service, a lump sum compensation is paid to him by arriving at the capitalized value of the disability element of disability pension, with reference to the commutation table in force from time to time. The broad-banding under Rule 8(3) of those rules is, however, not applicable in such cases. In accordance with the OM dated 05.05.2009, the benefit of disability pension is available to the employees covered under the National Pension System only on being boarded out on account of the disability attributable to Government service, however, the benefit under Rule 9(3) of the CCS (EOP) Rules, is presently not available to an employee covered under NPS, if he is retained in service in spite of a disablement attributable to Government service.

3. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure. It has now been decided that if a Government employee appointed on or after 01.01.2004 and covered under NPS is disabled, he shall also be eligible to receive a lump sum compensation computed in terms of rule 9(3) of CCS (EOP) Rules, if the disablement is attributable to Government service and the Government employee is retained in service in spite of such disablement. The provisions of this Department's OM No 38/41/06-P&PW (A) dated 05.05.2009 shall stand amended to that extent.

4. The provisions of this O.M. shall take effect from 01.01.2004.

5. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID No 1(6)/E/V/2020 dated 23.12.2020.

6. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India vide their यू.ओ.संख्या-232-स्टाफ हक (नियम)/ए.आर./09-2019 दिनांक-27.11.2020.

7. The Administrative Divisions of all Ministries/Departments and attached/subordinate offices are requested to bring the contents of these instructions to the notice of all concerned for compliance. The cases for payment of lump sum compensation to the employees covered under NPS and who have been retained in service in spite of disability attributable to Government service on or after 01.01.2004 may be processed accordingly.

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव

To-

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat
3. Vice President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Comptroller & Auditor General of India
6. Cabinet Secretariat
7. Union Public Service Commission
8. NIC for uploading in the Website